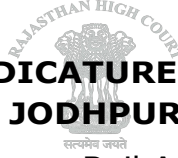




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 263/2026

Ravipratap Nishad S/o Ramsevak Nishad, Aged About 22 Years,
Resident Of Jangal Akathan Police Station Rudrapur District
Devriya Uttar Pradesh.
(Presently Lodged In Dist. Jail Pali)

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Mohan Lal S/o Daya Ram, R/o Dolpura, Sumerpur,
Takhatgar, Dist. Pali Raj.

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Naresh Khatri
For Respondent(s)	:	Mr. Narendra Gehlot, PP With Mr. OP Choudhary

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

25/03/2026

1. अप्रार्थी संख्या 2 के नोटिस की तामील हो चुकी है।
2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना तखतगढ़, जिला पाली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 174/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 75, 308(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
3. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त व पीड़िता आपस में कभी नहीं मिले केवल फोन पर एक-दूसरे से वार्तालाप होना और फोन पर ही एक-दूसरे को अश्लील फोटो, चैट ट्रांसफर करने का मामला पीड़िता के बयान में आया है। कोई रुपये ट्रांसफर करना पीड़िता ने अपने बयान में नहीं बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर आई.टी. एक्ट का आरोप नहीं लगाया गया है। पीड़िता 17 वर्ष की होना पीड़िता के बयान से स्पष्ट है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।



5. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि जिस तरह के फोटो ट्रांसफर किए गए हैं, उससे धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट का आरोप प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाया गया है। अतः इस आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।
6. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पीड़िता के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान का अवलोकन किया गया। पीड़िता की उम्र 17 वर्ष की है व एक-दूसरे को फोटो ट्रांसफर किया जाना पीड़िता ने अपने बयान में बताया है, कोई रकम ट्रांसफर करना पीड़िता ने नहीं बताया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
7. अतः इस स्टेज पर बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
8. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **रविप्रताप पुत्र रामसेवक** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J